



बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

**RESERVE BANK OF INDIA/भारतीय रिजर्व बैंक
CENTRAL ESTABLISHMENT SECTION/ केंद्रीय स्थापना अनुभाग
KOLKATA/कोलकाता**

शुद्धिपत्र/परिशिष्ट

01 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए आरबीआई कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में औषधालयों द्वारा क्रेडिट स्लिप पर सेवानिवृत्त/कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रितों को जारी की गई दवाओं की आपूर्ति और घर पर सुपुर्दगी के लिए ई-टेंडर

ई-निविदा संख्या: [आरबीआई/कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/2/25-26/ईटी/32](#)

उपर्युक्त निविदा के संदर्भ में, निविदा दस्तावेज के निम्नलिखित निविदा मद/उपबंध/बिंदु संख्याओं को संशोधित/संशोधित/जोड़ा गया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	प्रासंगिक निविदा मद/उपबंध/ खंड /पैरा के अंतर्गत पंक्ति	अब मौजूदा निविदा मद/उपबंध/पंक्ति में संशोधन/जोड़ के बाद पठित
1	<p>निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) पैरा 2, पृष्ठ 2 के अंतर्गत</p> <p>"निविदाकर्ता अपनी ई-निविदा (भाग I और भाग II) दोनों अर्थात् तकनीकी और वित्तीय बोलियां) ई-निविदा के संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी सहायक दस्तावेजों के साथ, सभी तरह से पूर्ण, 19 मई 2025 (सोमवार) को 14:00 बजे तक या उससे पहले प्रस्तुत करेंगे।"</p> <p>"निविदाकर्ता 19 मई 2025 (सोमवार) को या उससे पहले 12:00 बजे तक ₹19,00,000 (उन्नीस लाख) की वापसी योग्य बयाना राशि (ईएमडी) जमा करेंगे। तकनीकी बोली (भाग I) 20 मई 2025 (मंगलवार) को सुबह 11:30 बजे संभावित बोलीदाताओं की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी।"</p>	<p>निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) पैरा 2, पृष्ठ 2 के अंतर्गत</p> <p>"निविदाकर्ता अपनी ई-निविदा (भाग I और भाग II) दोनों अर्थात् तकनीकी और वित्तीय बोलियां) ई-निविदा के संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी सहायक दस्तावेजों के साथ, सभी तरह से पूर्ण, 26 मई 2025 (सोमवार) को 14:00 बजे तक या उससे पहले प्रस्तुत करेंगे।"</p> <p>"निविदाकर्ता 26 मई 2025 (सोमवार) को या उससे पहले 12:00 बजे तक ₹19,00,000 (उन्नीस लाख) की वापसी योग्य बयाना राशि (ईएमडी) जमा करेंगे। तकनीकी बोली (भाग I) 27 मई 2025 (मंगलवार) को सुबह 11:30 बजे संभावित बोलीदाताओं की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी।"</p>
2	<p>निविदा अनुसूची (एसओटी) के अंतर्गत</p> <p>I. बयाना राशि जमा (ईएमडी)</p> <p>"ईएमडी जमा करने का प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है और आवश्यक विवरण के साथ एक पुष्टिकरण मेल ceskolkata@rbi.org.in; rajarshiadhibikari@rbi.org.in; barkhagupta@rbi.org.in; abirmallick@rbi.org.in और apayra@rbi.org.in पर 19 मई 2025 को 12:00 बजे या उससे पहले भेजा जाना है।"</p>	<p>निविदा अनुसूची (एसओटी) के अंतर्गत</p> <p>I. बयाना राशि जमा (ईएमडी)</p> <p>"ईएमडी जमा किए जाने का प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है और आवश्यक विवरण के साथ एक पुष्टिकरण मेल ceskolkata@rbi.org.in; rajarshiadhibikari@rbi.org.in; barkhagupta@rbi.org.in; abirmallick@rbi.org.in और apayra@rbi.org.in पर 26 मई 2025 को 12:00 बजे या उससे पहले भेजा जाना है।"</p>
3	<p>खंड III के अंतर्गत: सत्यनिष्ठा समझौता बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे संबंधित अनुलग्नक IV के अनुसार सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करें और उसकी मूल</p>	<p>खंड III के अंतर्गत: सत्यनिष्ठा समझौता बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे संबंधित अनुलग्नक IV के अनुसार सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करें और उसकी मूल हार्ड कॉपी</p>



बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

RESERVE BANK OF INDIA/भारतीय रिजर्व बैंक
CENTRAL ESTABLISHMENT SECTION/ केंद्रीय स्थापना अनुभाग
KOLKATA/कोलकाता

<p>हार्ड कॉपी (भौतिक रूप से या डाक के माध्यम से*) 19 मई 2025 (सोमवार) को दोपहर 12 बजे तक या उससे पहले बैंक में जमा करें।</p> <p>“*नोट: हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा समझौते को डाक के माध्यम से जमा करने के लिए, बोलीदाता को इसे निम्नलिखित पते पर भेजना होगा और यह 19 मई 2025 को दोपहर 12 बजे या उससे पहले बैंक तक पहुंच जाना चाहिए”</p>	<p>(भौतिक रूप से या डाक के माध्यम से*) 26 मई 2025 (सोमवार) को दोपहर 12 बजे तक या उससे पहले बैंक में जमा करें।</p> <p>“*नोट: हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा समझौते को डाक के माध्यम से जमा करने के लिए, बोलीदाता को इसे निम्नलिखित पते पर भेजना होगा और यह 26 मई 2025 को दोपहर 12 बजे या उससे पहले बैंक तक पहुंच जाना चाहिए”</p>
<p>4. खंड IV के अंतर्गत: पात्रता मानदंड</p> <p>vii) निविदाकर्ताओं ने पिछले दो वर्षों के दौरान कम से कम एक सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के साथ समान व्यावसायिक व्यवस्था अर्थात् दवाओं की आपूर्ति की हो। ई-निविदा के लिए आवेदन करते समय इसका समर्थन करने वाला दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कृपया प्रारूप के लिए अनुलग्नक ॥ देखें। बोली की जांच के दौरान बैंक अपने विवेक से इसे सत्यापित कर सकता है।</p>	<p>खंड IV के अंतर्गत: पात्रता मानदंड</p> <p>vii) निविदाकर्ताओं ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कम से कम एक सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के साथ समान व्यावसायिक व्यवस्था अर्थात् दवाओं की आपूर्ति की हो। ई-निविदा के लिए आवेदन करते समय इसका समर्थन करने वाला दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अनुलग्नक ॥ में दिए गए प्रारूप के अनुसार एक ग्राहक से ग्राहक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। बोली की जांच के दौरान बैंक अपने विवेक से इसे सत्यापित कर सकता है।</p> <p>पूर्व में गैर-कार्यनिष्ठादान के आधार पर बैंक द्वारा संविदा समाप्ति का नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए।</p>
<p>5 खंड IV.A के अंतर्गत: तकनीकी बोली का विवरण (भाग I)</p> <p>एल) अनुलग्नक IV में दिए गए प्रारूप के अनुसार सत्यनिष्ठा समझौते की हस्ताक्षरित प्रति और उसकी मूल भौतिक प्रति 19 मई 2025 को अपराह्न 12 बजे तक या उससे पहले बैंक में जमा करनी होगी।</p>	<p>खंड IV.A के अंतर्गत: तकनीकी बोली का विवरण (भाग I)</p> <p>एल) अनुलग्नक IV में दिए गए प्रारूप के अनुसार सत्यनिष्ठा समझौते की हस्ताक्षरित प्रति और उसकी मूल भौतिक प्रति 26 मई 2025 को अपराह्न 12 बजे तक या उससे पहले बैंक में जमा करनी होगी।</p> <p>क्यू) कोलकाता में दुकान/प्रतिष्ठान का दस्तावेजी साक्ष्य।</p> <p>(द) यदि एमएसएमई अधिनियम के तहत पंजीकृत हो तो एमएसएमई प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति।</p> <p>उपर्युक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त, बैंक को किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त दस्तावेज मांगने का अधिकार है।</p>
<p>6 खंड V के अंतर्गत: कार्य का दायरा और नियम व शर्तें</p> <p>पैरा 1: कार्य का दायरा</p> <p>“बैंक को बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी प्रस्ताव या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित है।”</p>	<p>खंड V के अंतर्गत: कार्य का दायरा और नियम व शर्तें</p> <p>पैरा 1: कार्य का दायरा</p> <p>“बैंक अपनी खरीद को दो या उससे ज्यादा बोलीदाताओं के बीच बांटने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने</p>



बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

RESERVE BANK OF INDIA/भारतीय रिजर्व बैंक
CENTRAL ESTABLISHMENT SECTION/ केंद्रीय स्थापना अनुभाग
KOLKATA/कोलकाता

		का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। दवाइयों की आपूर्ति दो तरीकों से की जाएगी। (i) क्रेडिट स्लिप के बदले डोर-स्टेप डिलीवरी के ज़रिए दवाइयों की आपूर्ति और (ii) इंडेंट के बदले बैंक डिस्पेंसरियों को सीधे दवाइयों की आपूर्ति। कार्य और टेंडर की ज्यादातर लागत (90% से ज्यादा) में क्रेडिट स्लिप के बदले होम डिलीवरी के ज़रिए दवाइयों की आपूर्ति शामिल है।"
7	खंड V के अंतर्गत: कार्य का दायरा और नियम व शर्तें पैरा 2: वस्तु की डिलीवरी, सब-पैरा (ii)	धारा V के अंतर्गत: कार्य का दायरा और नियम व शर्तें पैरा 2: वस्तु की डिलीवरी, सब-पैरा (ii)
	"क्रेडिट स्लिप की मूल भौतिक प्रतिलिपि, उस क्रेडिट स्लिप के विरुद्ध बनाए गए चालान के साथ, जो संबंधित कर्मचारियों / सेवानिवृत्त कर्मचारियों, उनके पात्र आश्रितों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, जो दवाओं की उनकी प्राप्ति की पुष्टि करता है, भुगतान का दावा करते समय मासिक आधार पर बैंक को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। डोर-स्टेप डिलीवरी के मामले में, बोलीदाता को प्राप्तकर्ता से प्रत्येक क्रेडिट स्लिप के लिए डिलीवरी का प्रमाण प्राप्त करना होगा, जिसमें प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, नाम, डिलीवरी की तिथि और समय का उल्लेख हो। बैंक आवश्यकता पड़ने पर डिलीवरी का प्रमाण मांग सकता है और बोलीदाता को इसे सात कार्य दिवसों के भीतर बैंक को प्रस्तुत करना होगा। यदि बोलीदाता ओटीपी/डिलीवरी कोड-आधारित डिलीवरी सिस्टम प्रदान करता है, तो लाभार्थी के हस्ताक्षर के बजाय लाभार्थी से ओटीपी या डिलीवरी कोड प्राप्त किया जा सकता है। यदि बोलीदाता ओटीपी/डिलीवरी कोड-आधारित डिलीवरी की सेवा प्रदान करने के लिए सहमत है, तो सभी डिलीवरी केवल ओटीपी/डिलीवरी कोड-आधारित डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से की जानी चाहिए। बोलीदाता को आवेदन पत्र में यह उल्लेख करना होगा कि क्या ओटीपी/डिलीवरी कोड-आधारित डिलीवरी की जा सकती है बोलीदाता द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। ओटीपी आधारित डिलीवरी सुविधा वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है।"	
8	खंड V के अंतर्गत: कार्य का दायरा और नियम व शर्तें पैरा 2: वस्तु की डिलीवरी, सब-पैरा (iii)	खंड V के अंतर्गत: कार्य का दायरा और नियम व शर्तें पैरा 2: वस्तु की डिलीवरी, सब-पैरा (iii)
	"समय पर डिलीवरी न होने पर परिणाम भुगतने होंगे, जिनमें संविदा को रद्द करना शामिल हो सकता है, लेकिन यह केवल इसी तक सीमित नहीं है, क्योंकि समय संविदा का सार है।"	"समय पर डिलीवरी न होने पर परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें संविदा को रद्द करना शामिल हो सकता है, लेकिन यह केवल इसी तक सीमित नहीं है, क्योंकि समय संविदा का सार है। वर्तमान में कोलकाता आरओ के दायरे में आने वाले औषधालयों का विवरण अनुलग्नक VIII में दिया गया है।"
9	खंड V के अंतर्गत: कार्य का दायरा और नियम व शर्तें, पैरा 9 और पैरा 24 सब-पैरा 15: कार्यनिष्ठादन बैंक गारंटी	खंड V के अंतर्गत: कार्य का दायरा और नियम व शर्तें, पैरा 9 और पैरा 24 सब-पैरा 15: कार्यनिष्ठादन बैंक गारंटी
	"कार्यनिष्ठादन गारंटी संविदा की वैधता से कम से कम छह महीने	"कार्यनिष्ठादन गारंटी संविदा की वैधता से कम से कम छह महीने



बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

RESERVE BANK OF INDIA/भारतीय रिजर्व बैंक
CENTRAL ESTABLISHMENT SECTION/ केंद्रीय स्थापना अनुभाग
KOLKATA/कोलकाता

	महीने तक वैध रहनी चाहिए।"	तक वैध रहनी चाहिए। यदि बैंक कई बोलीदाताओं के साथ कई संविदा करता है तो पीबीजी को वार्षिक संविदा के लिए चयनित बोलीदाताओं के बीच विभाजित किया जाएगा।"
10	खंड V के अंतर्गत: कार्य का दायरा और नियम व शर्तें पैरा 10. देरी/चूक के लिए कटौती, सब-पैरा (i) आपूर्ति में देरी "इंडेंटेड/क्रेडिट स्लिप दवाओं की आपूर्ति में देरी की स्थिति में, आगामी ऑर्डरों में कटौती की जाएगी, तथा वार्षिक कार्यनिष्ठादन समीक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।"	खंड V के अंतर्गत: कार्य का दायरा और नियम व शर्तें पैरा 10. देरी/चूक के लिए कटौती, सब-पैरा (i) आपूर्ति में देरी "पूरी आपूर्ति इंडेंट और क्रेडिट स्लिप के लिए ऊपर बताई गई समयसीमा के अनुसार की जाएगी। समय पर दवाइयों की आपूर्ति न होने की स्थिति में, बैंक क्रेडिट स्लिप के संबंध में देरी के प्रत्येक दिन या उसके हिस्से के लिए प्रत्येक क्रेडिट स्लिप के लिए 100/- रुपये तक की कटौती कर सकता है।"
11	खंड V के अंतर्गत: कार्य का दायरा और नियम व शर्तें, पैरा 13: संविदा की अवधि, सब-पैरा (i) "इसके बाद, संविदा को आपसी सहमति से एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक रूप से नवीनीकृत किया जा सकता है, जिसे समान नियमों और शर्तों पर अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो कि आपूर्तिकर्ता/ओं के संतोषजनक कार्यनिष्ठादन के अधीन है, जिसका मूल्यांकन समय-समय पर बैंक द्वारा किया जाता है।"	खंड V के अंतर्गत: कार्य का दायरा और नियम व शर्तें, पैरा 13: संविदा की अवधि, सब-पैरा (i) "इसके बाद, संविदा को आपसी सहमति से एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए सालाना नवीनीकृत/विस्तारित किया जा सकता है, जिसे अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए उन्हीं नियमों और शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि आपूर्तिकर्ता/ओं का कार्यनिष्ठादन संतोषजनक हो, जिसका मूल्यांकन समय-समय पर बैंक द्वारा किया जाता है। यदि बैंक द्वारा संविदा को बढ़ाया/नवीनीकृत किया जाता है, तो बोलीदाताओं को विस्तारित वैधता और नए वार्षिक संविदा के साथ संशोधित कार्यनिष्ठादन बैंक गारंटी (पीबीजी) जमा करनी होगी।"
12	खंड V के अंतर्गत: कार्य का दायरा और नियम व शर्तें, पैरा 14: क्षतिपूर्ति "बैंक अपने विवेकानुसार तथा पूर्णतः बोलीदाता की लागत पर ऐसे मुकदमे की जवाबदेही कर सकता है, या तो बोलीदाता के साथ संयुक्त रूप से या अकेले, यदि बोलीदाता मुकदमे कि जवाबदेही न करना चाहे।"	खंड V के अंतर्गत: कार्य का दायरा और नियम व शर्तें, पैरा 14: क्षतिपूर्ति "यदि बोली लगाने वाले/नियुक्त किए गए कर्मचारियों का कोई भी कर्मचारी किसी भी तरह के विवाद में उलझता है, तो उसे निपटाना/विवाद करना बोली लगाने वाले की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। यदि बैंक को पक्ष बनाया जाता है और उसे मुकदमा लड़ना पड़ता है, तो बैंक को वकील की फीस और अन्य खर्चों के लिए किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसका भुगतान बोली लगाने वाले द्वारा बैंक को मांग किए जाने पर अग्रिम रूप से किया जाएगा। इसके अलावा, बोली लगाने वाले को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में बैंक पर किसी भी तरह की कोई वित्तीय या अन्य देयता न आए और इस संबंध में बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान करनी होगी।"
13	खंड V के अंतर्गत: कार्य का दायरा और नियम व शर्तें, पैरा 17. भ्रष्ट, धोखाधड़ी या अनैतिक व्यवहार	खंड V के अंतर्गत: कार्य का दायरा और नियम व शर्तें, पैरा 17. भ्रष्ट, धोखाधड़ी या अनैतिक व्यवहार



बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

RESERVE BANK OF INDIA/भारतीय रिजर्व बैंक
CENTRAL ESTABLISHMENT SECTION/ केंद्रीय स्थापना अनुभाग
KOLKATA/कोलकाता

		च) बैंक को संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय आपूर्तिकर्ता से इंडेंट या क्रेडिट स्लिप के माध्यम से बैंक द्वारा खरीदी जा रही किसी भी दवा/दवाओं की ड्रग टेस्ट रिपोर्ट मांगने का अधिकार है। यदि बैंक द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनिवार्य रूप से सरकारी प्रयोगशाला/सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं के माध्यम से ड्रग टेस्ट कराया जाना चाहिए।
14	धारा V के अंतर्गत: कार्य का दायरा और नियम व शर्तें, पैरा 24: अन्य निर्देश और शर्तें; उप-पैरा 11: कार्य सौपने का मापदंड	<p>धारा V के अंतर्गत: कार्य का दायरा और नियम व शर्तें, पैरा 24: अन्य निर्देश और शर्तें; उप-पैरा 11: कार्य का ठेका प्रदान करना</p> <p>11.1 बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार करने, किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उपरोक्त नियम और शर्तों को पूरा करना और उच्चतम छूट की पेशकश करना जरूरी नहीं है कि संविदा के कार्य सौपने के लिए अहंता प्राप्त की जाए।</p> <p>11.1 यदि एक से अधिक एच1 (एमआरपी पर उच्चतम एकसमान छूट देने वाले) बोलीदाता हों, तो संपूर्ण कार्य एच1 बोलीदाताओं के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा।</p> <p>11.2 अन्यथा, पूरा काम H1 और H2 बोलीदाताओं के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा, बशर्ते कि H2 बोलीदाता H1 बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित और स्वीकृत दरों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो। यह H1 बोलीदाता की कार्य क्षमता पर किसी भी तरह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है और इसका उद्देश्य केवल एक आपूर्तिकर्ता पर पूरी तरह से निर्भरता को कम करना है।</p> <p>11.3 यदि एच2 बोलीदाता एच1 दर से मेल खाने के लिए सहमत नहीं हैं तो एच3, एच4, इत्यादि बोलीदाताओं को उसी क्रम में ऊपर उल्लिखित अनुसार कार्य देने के लिए एच1 दर से मेल खाने का अवसर दिया जाएगा।</p> <p>11.4 यदि एच2, एच3, एच4 आदि एच1 की प्रस्तावित दर से मेल खाने के लिए सहमत नहीं हैं, तो संपूर्ण कार्य एच1 बोलीदाता को दिया जाएगा।</p> <p>11.5 वेंडर बैंक के बीएमओ/बीएमसी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मांग-पत्र/क्रेडिट स्लिप के आधार पर निर्धारित समय और निर्दिष्ट स्थान पर सहमत छूट पर दवाइयों की आपूर्ति करेगा।</p> <p>11.6 बैंक अपनी बदलती जरूरतों के आधार पर अपनी खरीद को दो या उससे ज्यादा वेंडरों/बोलीदाताओं के बीच बांटने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। बोलीदाताओं की संख्या की समीक्षा की जा सकती है और बैंक द्वारा जब भी जरूरी समझा जाए, आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं।</p> <p>11.7 बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार करने, किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उपरोक्त नियम और शर्तों को पूरा करना और उच्चतम छूट की पेशकश करना जरूरी नहीं है कि संविदा के कार्य सौपने के लिए अहंता प्राप्त की जाए।</p>
15	धारा V के अंतर्गत: कार्य का दायरा और नियम व शर्तें, पैरा 24: अन्य निर्देश और शर्तें; उप-पैरा 14: बयाना जमा राशि	धारा V के अंतर्गत: कार्य का दायरा और नियम व शर्तें, पैरा 24: अन्य निर्देश और शर्तें; उप-पैरा 14: बयाना जमा राशि



बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

RESERVE BANK OF INDIA/भारतीय रिज़र्व बैंक
CENTRAL ESTABLISHMENT SECTION/ केंद्रीय स्थापना अनुभाग
KOLKATA/कोलकाता

₹19,00,000/- (केवल उन्नीस लाख) की बयाना राशि (ईएमडी) बोलियों के साथ किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता के पक्ष में **19 मई 2025** को दोपहर 12 बजे या उससे पहले जमा करनी होगी।"

"14.2 ईएमडी जमा करने के बाद, पुष्टि की एक पंक्ति, जिसमें ई-टेंडर का नाम जिसके लिए ईएमडी जमा किया गया है, और अन्य सभी आवश्यक विवरण ईमेल के माध्यम से ceskolkata@rbi.org.in; rajarshiadhibikari@rbi.org.in; barkhagupta@rbi.org.in; abirmallick@rbi.org.in और apayra@rbi.org.in

पर 19 मई, 2025 को 12:00 बजे या उससे पहले भेजे जा सकते हैं।"

₹19,00,000/- (केवल उन्नीस लाख) की बयाना राशि (ईएमडी) बोलियों के साथ एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता के पक्ष में जारी की गई किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की गई राशि **26 मई 2025** को दोपहर 12 बजे या उससे पहले जमा करनी होगी।"

"14.2 ईएमडी जमा करने के बाद, ई-टेंडर का नाम जिसके लिए ईएमडी जमा की गई है, बताते हुए एक पुष्टिकरण पंक्ति, और अन्य सभी आवश्यक विवरण ceskolkata@rbi.org.in; rajarshiadhibikari@rbi.org.in; barkhagupta@rbi.org.in; abirmallick@rbi.org.in और apayra@rbi.org.in पर 26 मई 2025 को 12:00 बजे या उससे पहले भेजे जा सकते हैं।"

16	धारा V के अंतर्गत: कार्य का दायरा और नियम व शर्तें	<p>25. निषिद्ध/अयोग्य घोषित करना यदि आपूर्तिकर्ता करार की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो बैंक आपूर्तिकर्ता को किसी भी प्रक्रिया में भाग लेने या बैंक को दवाइयों की आपूर्ति करने से तीन साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित/अयोग्य/सूचीबद्ध करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालाँकि, ऐसा करने से पहले बैंक आपूर्तिकर्ता को कारण बताओ नोटिस दे सकता है और आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसे नोटिस पर प्रस्तुत किए गए उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार कर सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।</p> <p>26. कानूनी मुकदमे करार/संविदा से संबंधित या उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी मुकदमे, कार्रवाई या कार्यवाहियां केवल पश्चिम बंगाल के न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगी।</p>
17	अनुलग्नक I के अंतर्गत: आवेदन पत्र क्रम संख्या 20. 20. सर्वोत्तम मूल्य मानदंड के लिए सहमति (धारा V पैरा 16 देखें)	<p>20. सर्वोत्तम मूल्य मानदंड से सहमति (धारा V पैरा 16 देखें) (हाँ/नहीं)</p> <p>21. क्या केमिस्ट ओटीपी/डिलीवरी कोड आधारित डिलीवरी प्रदान कर सकता है (हाँ/नहीं)</p>



बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

**RESERVE BANK OF INDIA/भारतीय रिज़र्व बैंक
CENTRAL ESTABLISHMENT SECTION/ केंद्रीय स्थापना अनुभाग
KOLKATA/कोलकाता**

2. इसके अलावा, निविदा प्रस्तुत करने/खोलने की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, तदनुसार निविदा अनुसूची (एसओटी) के प्रासंगिक अनुच्छेदों में संशोधन निम्नानुसार है:

जे. अंतिम तिथि और समय का जमा करना ईएमडी का:	26 मई 2025 को 12:00 बजे या उससे पहले
के. अंतिम तिथि एवं समय का जमा करना हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा समझौते की भौतिक प्रति:	26 मई 2025 को 12:00 बजे या उससे पहले
एन. ई-निविदा की उपलब्धता की अंतिम तिथि:	26 मई 2025, 14:00 बजे तक
ओ. ई-निविदा (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) ऑनलाइन जमा करने की समाप्ति की तिथि और समय:	26 मई 2025, 14:00 बजे तक
पी. भाग-। खुलने की तिथि एवं समय (तकनीकी बोली):	27 मई 2025, 11:30 पूर्वाह्न से

3. निविदा की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

4. बैंक इन तिथियों में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कृपया किसी भी अपडेट के लिए आरबीआई वेबसाइट देखें।

नोट: यह शुद्धिपत्र बोली दस्तावेज/करार का हिस्सा होगा। बोली दस्तावेज के बाकी नियम और शर्तें तथा विनिर्देश समान रहेंगे। उपरोक्त संशोधन/स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं की जानकारी के लिए जारी किए गए हैं। फर्म द्वारा आवेदन प्रस्तुत करना बोली दस्तावेज तथा ऊपर दिए गए संशोधन/स्पष्टीकरण के अनुरूप माना जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
पश्चिम बंगाल और
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह



बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

**RESERVE BANK OF INDIA/भारतीय रिजर्व बैंक
CENTRAL ESTABLISHMENT SECTION/ केंद्रीय स्थापना अनुभाग
KOLKATA/कोलकाता**

अनुलग्नक VIII:

कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत औषधालयों का विवरण

क्र. सं.	औषधालय का नाम	औषधालय का पता	परिचालन समय*
1	मुख्य कार्यालय परिसर औषधालय (एमओपीडी)	आरबीआई कोलकाता, मुख्य कार्यालय परिसर, 15, नेताजी सुभाष रोड, फेयरली प्लेस, बीबीडी बाग, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700001	सोमवार से शुक्रवार: सुबह 9:45 बजे से शाम 5:30 बजे तक
2	डोवर लेन आवासीय कॉलोनी औषधालय (सिंधी पार्क)	भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ क्वार्टर, डोवर लेन बल्लीगंज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700019	सोमवार - शुक्रवार - दोपहर 03:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक; शनिवार - सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
3	दमदम में आवासीय कॉलोनी औषधालय	भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ क्वार्टर डिस्पेंसरी, 1-बी, बीके पॉल लेन, दम दम, कोलकाता - 700030	सोमवार से शनिवार सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
4	सॉल्ट लेक में आवासीय कॉलोनी औषधालय	भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ क्वार्टर डिस्पेंसरी, एलबी-ब्लॉक, सेक्टर - III, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700091	सोमवार - शुक्रवार - दोपहर 03:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक; शनिवार - सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक
5	उल्टाडांगा में आवासीय कॉलोनी औषधालय	भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारी क्वार्टर औषधालय, उल्टाडांगा, बिधान नगर रेलवे स्टेशन के सामने, प्लेटफार्म नं.4, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700067	सोमवार - शुक्रवार - सायं 8:00 बजे से 9:30 बजे तक; शनिवार - प्रातः 08:30 बजे से 10:00 बजे तक
6	अलीपुर, न्यू रोड में आवासीय कॉलोनी डिस्पेंसरी	आरबीआई सीनियर ऑफिसर्स क्वार्टर डिस्पेंसरी, ब्लॉक - ए, बी और सी, 7, न्यू रोड, अलीपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700027	सोमवार - शुक्रवार - सायं 6:00 बजे से सायं 8:00 बजे तक; शनिवार - प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक

*यदि आवश्यक हो तो बैंक द्वारा औषधालय के परिचालन समय की समीक्षा की जा सकती है।